(1300/SJN/RP)

माननीय अध्यक्ष : यह मैं आपसे कह सकता हूं कि जब उस समय यह बिल आएगा, तब डिटेल में चर्चा होगी। सभी माननीय सदस्य, आप जितने दिन चर्चा चाहेंगे, आपको उतने दिनों तक चर्चा करने का समय दिया जाएगा। अब मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वह अपनी बात रखें। मैं सबको बोलने का मौका दूंगा।

… (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : अध्यक्ष जी, अभी कुछ माननीय सदस्यों ने इस बिल के इंट्रोडक्शन पर अपनी आपत्ति उठाई है, जो विशेष रूप से लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस से संबंधित है। मैं मेरी बात ज्यादातर लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी के विषय पर ही रखना चाहता हूं।

माननीय सदस्यों द्वारा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 72 में जो वर्णित है – 'विधेयक की पुरःस्थापना का विरोध होने पर प्रक्रिया के तहत' जो आपत्तियां उठाई गई हैं, मैं इस माननीय सदन में उसके बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं।

महोदय, एक विषय आया कि यह अनुच्छेद 368 का उल्लंघन करता है। संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है, अनुच्छेद 368 उसके बारे में बताता है और संसद को शक्ति देता है। ऐसा तो नहीं है, संविधान में ही अनुच्छेद 368 लिखा हुआ है।…(व्यवधान)

उसके बाद एक विषय आया कि जो संविधान का अनुच्छेद 327 है, यह सदन को विधान मंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने का जो अधिकार देता है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो संविधान का अनुच्छेद 327 है, यह संसद को विधान मंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार देता है। इसमें कहा गया है कि संविधान के प्रावधानों के अधीन संसद समय-समय पर कानून द्वारा संसद के किसी भी सदन या विधान मंडल के किसी भी सदन के चुनाव से संबंधित मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकती है। It is a Constitutional provision. … (*Interruptions*)

महोदय, मैं वही बता रहा हूं। किसी राज्य की मतदाता सूची की तैयारी, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और ऐसे सदनों के उचित गठन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक यानी इसमें सभी मामले शामिल हैं। एक साथ चुनाव के उद्देश्य से संवैधानिक संशोधन अधिक सुव्यवस्थित चुनावी प्रक्रिया की आवश्यकता के साथ संघीय स्वायत्तता को संतुलित कर सकते हैं।…(व्यवधान) इस प्रकार अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि और अनुच्छेद 172 राज्यों के विधान मंडलों की अवधि में संशोधन करके चुनाव को एक कानूनी ढांचे के भीतर सिंक्रोनाइज किया जा सकता है, जो संसदीय संप्रभुता को बरकरार रखता है।

राज्य सरकारों की स्वायत्ता (आटोनॉमी) नामक विषय भी आया है। संविधान की 7वीं अनुसूची की यूनियन लिस्ट की इंट्री नंबर 72 में लिखा हुआ है कि election to Parliament, to the Legislature of States, and to the Offices of President and Vice-President, the Election Commission, उसके अनुसार केन्द्र सरकार को शक्ति प्रदान करता है। जो यूनियन लिस्ट है, उसकी एंट्री 72 में लिखा हुआ है। यह संशोधन राज्यों को संविधान प्रदत्त

शक्तियों को न तो कम करता है और न ही छीनता है। यह जो संशोधन है, हम एकदम संविधान सम्मत लेकर आए हैं।

अब बेसिक स्ट्रक्चर नामक विषय आया है। मैं बेसिक स्ट्रक्चर पर दो मिनट बोलना चाहता हूं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती केस में सन् 1973 में इस फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात की है। उसमें उन्होंने 5-7 बिंदु तय किए हैं। उसके बाद और मामलों में भी कुछ विषय जोड़े हैं, like Judicial Review, federal character of the Constitution, separation of power between Legislature, Executive, and Judiciary; secular character of the Constitution; and supremacy of the Constitution, ये इस बिल में कहीं भी आघात नहीं हो रहे हैं। इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। बेसिक स्ट्रक्चर में कहीं भी कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है।…(व्यवधान)

अब मैं यह कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती जजमेंट के साथ-साथ वामन राव केस और एल. चंद्र कुमार केस में भी कुछ और विषय जोड़े हैं, लेकिन इससे न तो संसद की शक्ति में कोई कमी आ रही है और न ही विधान सभा को जो शक्ति दी है, उसमें कमी आ रही है।…(व्यवधान)

(1305/SPS/VR)

यहां बाबा साहेब का जिक्र आया और बाबा साहेब के क्वोट का भी जिक्र आया। अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि 4 नवंबर 1948, संविधान सभा में… (व्यवधान) देखिए प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने मुझे यह अवसर दिया है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इस देश के पहले कानून मंत्री थे और जिस वर्ग से बाबा साहेब आते थे, उसी वर्ग से मैं आ रहा हूं। नरेन्द्र मोदी जी ने यह मुझे बहुत बड़ा अवसर दिया है। मैं यह बात सदन में रख रहा हूं और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि संविधान सभा में बहस के दौरान … (व्यवधान) You have already raised your objections. *....(Interruptions)* Now, you have to listen to me. *....(Interruptions).* संविधान सभा में बहस के दौरान 4 नवंबर, 1948 को बाबा साहेब ने कहा कहा था। … (व्यवधान) यह बाबा साहेब का क्वोट है, अनक्वोट नहीं है। संघवाद का मूल सिद्धांत यह है कि विधायिका और कार्यपालिका की सत्ता केन्द्र और राज्यों के बीच केन्द्र द्वारा बनाए गए किसी कानून के द्वारा नहीं, बल्कि संविधान द्वारा ही बटी होती है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कन्करेंट लिस्ट में से किसी भी सूची में कोई संशोधन नहीं कर रहे हैं। हम संघवाद पर कैसे चोट कर रहे हैं? हम कोई चोट नहीं कर रहे हैं।

दूसरी बात बाबा साहेब ने कही थी कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। यह बाबा साहेब का क्वोट ही है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, राज्यों को फेडरेशन से अलग होने का अधिकार नहीं है। फेडरेशन एक संघ है और उसका स्वरूप अविनाशी है। उसको कोई नहीं बदल सकता है। यह बाबा साहेब ने कहा था। … (व्यवधान) यह विषय इसमें नहीं है। ये राजनीतिक कारणों से इसका विरोध कर रहे हैं। संसद को अनुच्छेद 327 के तहत लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के चुनावों को एक साथ कराने

के लिए संविधान में उचित संशोधन करने का अधिकार है, जैसा मैंने बताया है। हमने जो आर्टिकल जोड़े हैं… (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, जब बात जेपीसी की आ ही गई है तो जेपीसी में डिटेल्ड चर्चा होगी।

माननीय अध्यक्ष : आप कुछ तो बोल दीजिए। इनकी बातों को कुछ तो स्पष्ट कर दें।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, आप सब उनका वक्तव्य सुनिए।

… (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : चूंकि, आपने अवसर दिया है तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को धन्यवाद देना चाहूंगा और एचएलसी में जुड़े हुए सदस्यों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। उसमें गृह मंत्री जी भी थे। उसमें डिटेल्ड डिस्कशन हुआ है, लेकिन ये कह रहे हैं कि यह अचानक आ गया है।

अध्यक्ष जी, वर्ष 1983 से चुनाव आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में लोक सभा और विधान सभाओं के चुनाव एक साथ कराने का विचार किया। यह 41 साल से पेंडिंग है। अलग-अलग कमेटीज़ ने भी विचार किया, स्टैंडिंग कमेटी ने भी विचार किया, उसके बाद एचएलसी गठित हुई। ये कह रहे हैं कि दलों से बात नहीं हुई है। 19 जून, वर्ष 2019 को संसद भवन में प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई थी। उसमें सभी लोग थे। … (व्यवधान) उसमें 19 राजनीतिक दलों ने भाग लिया। उसमें 16 राजनीतिक दलों ने एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया और तीन राजनीतिक दलों ने विरोध किया। इसका मतलब है कि बहुमत हमारे साथ था।

अध्यक्ष जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपने केवड़िया में पीठासीन अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। आपको याद होगा। प्रधान मंत्री जी ने केवड़िया, गुजरात में 26 नवंबर, 2020 को 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन सत्र में भी संबोधन के दौरान एक साथ चुनाव करने की बात रखी थी और आपने उसको डिस्कस किया। सारे स्टेट्स के प्रिसाइडिंग ऑफिसर उससे सहमत थे और आप भी सहमत थे। … (व्यवधान) स्वीडन, जर्मन, बेल्जियम और कई जगह यह चल भी रहा है। मैं अब जेपीसी पर आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बात तो कहना चाहूंगा। यह मामला 41 साल से पेंडिंग था। मैं अपने नेता नरेन्द्र मोदी जी के बारे में एक बात तो कहना चाहूंगा। जो मामला 41 साल से पेंडिंग था, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन नरेन्द्र मोदी जी ने ध्यान दिया, क्या कहा :-

जो निर्णय लेता है सदा देशहित की खातिर जग में
साहस से करता दूर सदा जो बाधा आती मग में,

यह मार्ग है। इलेक्शन का एक प्रोसेस था और 1971 में चक्र टूट गया तो बाधा आ गई।

जो निर्णय लेता है सदा देशहित की खातिर जग में,
साहस से करता दूर सदा जो बाधा आती मग में,
अपना सर्वस्व लगाकर भी अपना कर्त्तव्य निभाता है,
जो नेता दूरदर्शी होता है, वही इतिहास बनाता है।

आज इतिहास बनाने का अवसर आया है। मैं इसे जेपीसी में भेजने का भी प्रस्ताव करता हूं। With these words, I introduce both the Bills listed at item Nos.18 and 19.

(ends)

(1310/MM/SAN)

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर) : सर, हमें डिविजन चाहिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : डिविजन भी होगा, समय तो आने दीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप वरिष्ठ सदस्य हैं, प्लीज!

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

... (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : सर, हम डिविजन चाहते हैं।

1314 बजे

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, डिविजन।

लॉबीज़ खाली कर दी जाएं-

अब लॉबीज खाली हो गई हैं।

(1315/YSH/SNT)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज बैठ जाइए।

माननीय सदस्यगण, अगर मतदान होता है तो पहली बार इस सदन में इलेक्ट्रॉनिक मतदान होगा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप सभी एक बार अपनी-अपनी सीट्स पर बैठ जाइए। देसाई जी, प्लीज बैठ जाइए। आप सब अपनी-अपनी सीट पर विराजिए।

आपको प्रक्रिया भी बताई जाएगी। चूँकि पहली बार इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से मतदान हो रहा है। इसलिए माननीय महासचिव जी आपको सारी व्यवस्थाएं बताएंगे और उस व्यवस्था के तहत यह भी बताएंगे कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मशीन का बटन गलत दब जाता है तो आप पर्ची से भी अपने मतदान को संशोधित कर सकते हैं। महासचिव जी आपको हिंदी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में बताएंगे।

आप पहले महासचिव जी की व्यवस्था को समझ लीजिए। अब आप सब अपनी-अपनी सीट्स पर जाकर बैठ जाइए।

महासचिव जी।

ANNOUNCEMENT RE: AUTOMATIC VOTE RECORDING SYSTEM

1317 hours

SECRETARY GENERAL: Kind attention of the hon. Members is invited to the points in the operation of the Automatic Vote Recording System:-

1. Before a Division starts, every hon. Member should occupy his or her own seat and operate the system from that seat only.
2. When the hon. Speaker says "Now Division", the Secretary-General will activate the voting button and a gong sound will be heard simultaneously.
3. For voting, "only" after the sound of the gong; repeat only after the sound of the gong, hon. Members may simultaneously press the "vote secure" button towards the left side of multimedia device on the Headphone plate

   and

   any one of the following buttons fixed on the right side of the Headphone plate:

Yes	:	Below Green Colour Sticker
No	:	Below Red Colour Sticker
Abstain	:	Below Yellow Colour Sticker

4. It is essential to keep both the buttons pressed till another gong is heard.
5. Hon. Members may please note that their votes will not be registered:

(i) If buttons are kept pressed before the first gong; or

(ii) Both buttons are not kept simultaneously pressed till the second gong.

6. Hon. Members can actually "see" the final result after a gap of a few seconds after the second gong.
7. Hon. Members can check their vote on individual result display boards installed on either side of hon. Speaker's Chair, multimedia device and also on the Yes/No/Abstain button, as the case may be.
8. In case vote is not registered or if any Member wishes to change their vote, they may call for voting through slips.

(1320/AK/RAJ)

महासचिव : माननीय सदस्यों का ध्यान स्वचालित मतदान रिकॉर्डिंग प्रणाली का संचालन करने से संबंधित बिंदुओं की ओर आकर्षित किया जाता है:-

1. प्रत्येक माननीय सदस्य को मत-विभाजन आरंभ होने से पूर्व अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए और इस प्रणाली का संचालन उस स्थान से ही करना चाहिए।
2. जब माननीय अध्यक्ष 'अब मत-विभाजन' बोलेंगे तो महासचिव मतदान बटन को एक्टिवेट करेंगे और इसके साथ-साथ गौंग की ध्वनि सुनाई देगी।
3. मतदान के लिए "केवल गौंग की ध्वनि के बाद ही; कृपया ध्यान दें कि केवल गौंग की ध्वनि के बाद ही माननीय सदस्य हेडफोन प्लेट पर मल्टीमीडिया डिवाइस के बाईं ओर लगे "वोट सेक्योर" बटन और हेडफोन प्लेट पर दाईं ओर लगे निम्नलिखित बटनों में से कोई एक बटन साथ-साथ दबाएं।

हाँ	:	हरे रंग के स्टिकर के नीचे
नहीं	:	लाल रंग के स्टिकर के नीचे
मतदान में भाग नहीं लेना	:	पीले रंग के स्टिकर के नीचे

4. गौंग ध्वनि दूसरी बार सुनाई देने तक दोनों बटनों को दबाए रखना अनिवार्य है।
5. माननीय सदस्य कृपया नोट करें कि उनके मत दर्ज नहीं होंगे:
   (1) यदि बटनों को पहली गौंग ध्वनि सुनाई देने से पहले दबा दिया जाता है; या
   (2) दोनों बटनों को दूसरी गौंग ध्वनि सुनाई देने तक एक साथ दबाकर नहीं रखा जाता है।
6. माननीय सदस्य दूसरी गौंग ध्वनि के कुछ सेकेंड के पश्चात अंतिम परिणाम वास्तव में, "देख" सकते हैं।
7. माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष के आसन के किसी भी तरफ संस्थापित व्यक्तिगत परिणाम डिस्प्ले बोर्डों पर, मल्टीमीडिया डिवाइस पर और हाँ/नहीं/मतदान में भाग नहीं लेने वाले बटन पर भी अपने मत की जांच कर सकते हैं।
8. मत दर्ज नहीं होने की दशा में, अथवा यदि कोई सदस्य अपने मत में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो वे पर्ची के माध्यम से मतदान की माँग कर सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, महासचिव जी ने डीटेल में आपको बताया है। मैं समझता हूं कि इस सदन में पहली बार मतदान हो रहा है और पहली बार मतदान प्रक्रिया में कुछ परेशानियां, आप सभी माननीय सदस्यों को अनुभव हो सकती है। हमारी तरफ से इसके लिए कई बार अभ्यास किया गया है, लेकिन मतदान पहली बार किया जा रहा है। अगर कोई संशोधन करना होगा, तो हम सब इसमें संशोधन भी करेंगे। अगर किसी माननीय सदस्य को बटन दबाने में परेशानी होगी, तो हम इस बार व्यक्तिगत रूप से उन्हें पर्ची के लिए भी एलाउ करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

… (व्यवधान)

लोकसभा में मत-विभाजन हुआ।

(1325-45/KN/UB)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह क्या तरीका है?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। माननीय सदस्य, प्लीज आप बैठिये।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं। माननीय सदस्य, प्लीज बैठिये। एक बार दोबारा करवाएंगे।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से पुन: आग्रह करता हूं। प्लीज एक बार आप सब बैठिये। आप एक बात सुनिये।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से पुन: आग्रह करता हूं। मैंने पूर्व में भी कहा था। हम पहली बार मतदान की प्रक्रिया इलैक्ट्रॉनिक तरीके से कर रहे हैं। अगर किसी माननीय सदस्य को कोई आपत्ति हो तो वह अपने मत को पर्ची के माध्यम से भी संशोधित कर सकता है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जो अपने मत को संशोधित करना चाहते हैं, उन्हीं को पर्ची दे रहे हैं। सब को नहीं दे रहे हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं फिर आग्रह करता हूं कि जिन माननीय सदस्यों को अपने मत को संशोधित करना है, वही पर्ची लें। क्योंकि माननीय सदस्य आप सब विद्वान सदस्य हैं, इसलिए एक बार और प्रयास कर लें।

… (व्यवधान)

(1350/GG/VR)

माननीय अध्यक्ष : ऑनरेबल मेंबर्स प्लीज़।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यों, जब भी वोटिंग मशीन से मतदान होता है तो आप सब अपनी सीट से दबाए गए बटन और सदन के दोनों ओर लगी हुई बड़ी स्क्रीन में आप मिलान कर सकते हैं। अगर मिलान में सही नहीं होता है और आपको कुछ करेक्शन करना है, एबस्ट्रेन में या मतदान में, तो ही आप पर्ची मांगे और तब ही पर्ची से मतदान में करेक्शन करें।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यों, शुद्धि के अध्यधीन, मत-विभाजन का परिणाम यह है:

हाँ: 269

नहीं: 198

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब आप विधेयक को पुर:स्थापित करें।

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: Sir, I introduce the Bill.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह हैः

"कि संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब आप विधेयक को पुर:स्थापित करें।

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: Sir, I introduce the Bill.

माननीय अध्यक्ष : लॉबीज़ खोल दी जाएं।

सभा की कार्यवाही तीन बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1354 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा पन्द्रह बजे तक के लिए स्थगित हुई।